

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट(दौसा)

किरम मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 14/22

सावित्री वर्गै0

बनाम

राज0 सरकार

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

15-06-2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 में दिनांक 14-06-2022 को रिपोर्ट आ चुकी है। ख0नं0 495 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी उक्त जमीन के खातेदार है। दिनांक 14-06-2022 को तहसीलदार द्वारा भूमि की रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मेरे विनम्र मत में ख0नं0 495 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा का मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 14-06-2022 की शर्त के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि ख0नं0 495 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)